न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/175/2017

उनवान

1. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व0 सत्यनारायण तिवाडी निवासी जहाजपुर हाल निवासी आदर्शनगर, भीलवाडा
2. श्रीमती आशा उर्फ अंजु पत्नी सत्यनारायण उपाध्याय पुत्री सत्यनारायण तिवाडी निवासी कुचलवाडा हाल निवासी आदर्शनगर, भीलवाडा
3. सुश्री सुनीता पुत्री सत्यनारायण (ब्राह्मण) तिवाडी नाबालिग जरिये नैसर्गिक माता एवं संरक्षिका कांता देवी पत्नी स्व0 सत्यनारायण तिवाडी निवासी जहाजपुर हाल–आदर्श नगर, भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. महेशचन्द्र पुत्र मोहन लाल ब्राह्मण (तिवाडी) निवासी जहाजपुर हाल निवासी भीलवाडा सर्वेश्वर कोलोनी सांगानेर रोड, भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के
प्रकरण संख्या 10/2015 निर्णय दिनांक 5.6.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री एस एल वैद , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 13.6.2019

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी के हिन्दु संयुक्त परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:–

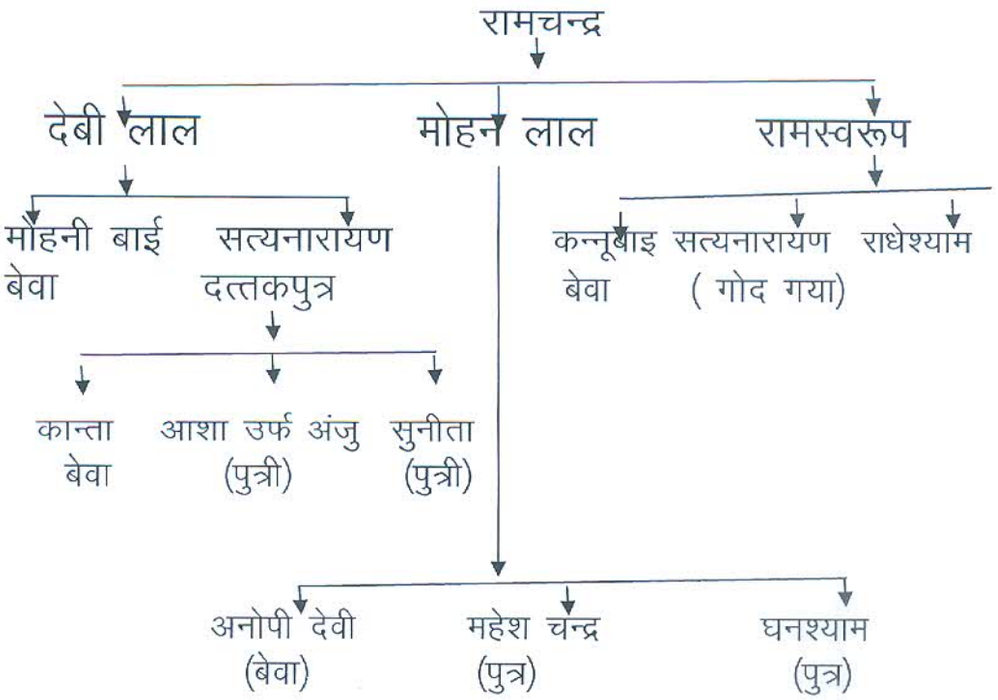

2. मौजा जहाजपुर तहसील जहाजपुर के राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2064 से 2067 के खाता संख्या 462 में आराजी नम्बर 274 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 276 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 5151 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा, आअराजी नम्बर 5154 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 5230 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 5275 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 5279 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है जिसमें देबी लाल पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मण (तिवाडी) का 1/3 हिस्सा तथा अन्य सहकाश्तकार महेशचन्द्र, घनश्याम, पिता मोहन लाल , अनोप देवी बेवा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
गीलवाड़ा

मोहन लाल का 1/3 हिस्सा, सत्यनारायण, राधेश्याम पिता रामस्वरूप , कन्नु बाई बेवा रामस्वरूप का 1/3 हिस्सा है। स्वर्गीय देबी लाल पिता रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 16.2.90 को भीलवाडा के माणिक्यनगर में निवास करते हुए हुई। उनकी पत्नी मोहनी बाई जीवित थी, जिनका देहान्त भी भीलवाडा में विजयसिंह पथिकनगर, भीलवाडा में रहते हुए दिनांक 1.11.2010 को हुआ । स्व0 देबीलाल जी एवं उनकी पत्नी मोहनी बाई के कोई संतान नहीं थी। इसलिए स्व0 देबी लाल जी पिता रामचन्द्र ब्राह्मण (तिवाडी) ने अपने जीवनकाल में ही करीब 42 वर्ष पूर्व अपने भाई रामस्वरूप के पुत्र सत्यनारायण को अपनी पत्नी की सहमति से हिन्दु विधि एवं सामाजिक प्रथा अनुसार गोद देने व गोद लेने की रस्म सम्पन्न कर गोद ले लिया था। दत्तक पुत्र सत्यनारायण का पालन–पोषण, शिक्षा–दीक्षा एवं विवाह भी स्व0 देबीलाल जी ने ही सम्पन्न कराया । दत्तक पुत्र सत्यनारायण ने स्व0 देबीलाल जी एवं उनकी पत्नि मोहनी बाई की सेवा सुश्रुषा की । इस प्रकार स्व0 देबी लाल जी की मृत्यु होने पर उनका क्रिया कर्म एवं पिण्डदान भी दत्तक पुत्र सत्यनारायण ने ही किया । श्री सत्यनारायण को 42 वर्ष पूर्व गोद ले लिया गया था, जिसका कोई लेखपत्र उस वक्त निष्पादित नहीं कराया गया था। इसलिए स्व0 देबी लाल जी की विधवा मोहन बाई ने अपने पति देबी लाल जी की मृत्यु के पश्चात दिनांक 12.12.2007 को श्री सत्यनारायण को 35 वर्ष पूर्व गोद ले लिये जाने से गोदनामा उसके पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्ध करादिया । इस प्रकार स्व0 देबी लाल पिता रामचन्द्र जी की चल अचल सम्पदा में दत्तक पुत्र सत्यनारायण को दत्तक कुटुम्ब में नैसर्गिक पुत्र के समान सारे हक व अधिकार सृजित हो गये। इसलिए स्व0 देबी लाल जी की तमाम चल अचल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सम्पदाओं में दत्तक पुत्र सत्यनारायण के विरासतीय अधिकार सृजित हो गये।

3. स्व0 देबी लाल जी एवं उनकी पत्नि मोहन बाई की सेवा सुश्रुषा करते हुए उनके दत्तक पुत्र सत्यनारायण जी की भी मृत्यु भीलवाडा के आदर्श नगर में निवास करते हुए दिनांक 2.8.2013 को हो गई। स्व0 सत्यनारायण जी के वारिसान प्रार्थीगण हैं। इनके सिवाय अन्य कोई वारिसान नहीं है । इन तमाम तथ्यों से विपक्षी महेश चन्द्र भलीभॉति परिचित है। विपक्षी महेशचन्द्र राजस्थान राज्य के राजस्व विभाग में भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर सेवारत रहते हुए सेवानिवृत हो गया है। इसलिए विपक्षी महेशचन्द्र राजस्व संबंधी मामलात से सबंधित नामान्तरकरण की प्रक्रियाओं से भी भलीभॉति परिचित है। प्रार्थीगण अबला महिलायें हैं, उनकी असहाय अवस्थाओं की एवं मोहन बाई के अधिक वय होने की स्थिति से भी विपक्षी महेशचन्द्र भलीभॉति परिचित है। स्व0 देबी लाल जी की मृत्यु दिनांक 16.2.1990 को हो गई थी , लेकिन विपक्षी राजस्व विभाग में कार्यरत रहा था इसलिए रेवेन्यू एजेंसी से मिलकर विरासत से खाता परिवर्तन नहीं होने दिया एवं विपक्षी महेश चन्द्र ने मृतक देबी लाल जी की पत्नि मोहन बाई को विरासत से खाता रद्दोबदल करवाने के बहाने जहाजपुर ले जाकर वादग्रस्त आराजियात में देबी लाल जी के हिस्से का हक परित्याग मुगालते में रखकर धोखास्पद तरीके से निष्पादित करवा दिया और राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजियात में देबी लाल पुत्र रामचन्द्र के दो वारिसान मोहनी बाई व सत्यनारायण है इस तथ्य को छिपाते हुए विपक्षी महेश चन्द्र ने अपना मकसद हल करने के प्रयोजन से स्व0 सत्यनारायण के मृतक देबी लाल का दत्तक पुत्र होने के इस तथ्य को छिपाकर केवल मोहनी बाई के नाम पर विरासत से खाता परिवर्तन कराकर उसी दिन हक परित्याग

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

से भी खाता विपक्षी महेश चन्द्र ने राजस्व एजेंन्सी से मिलकर अपने नाम पर हक परित्याग के आधार पर स्वीकृत करा लिया जो सर्वथा अनुचित, दोषपूर्ण तथा विधिविरूद्ध है। क्योंकि विरासत से खाता परिवर्तन करने से पूर्व राजस्व एजेन्सी द्वारा कोई सार्वजनिक आपत्ति जारी नहीं की एंव मृतक देबी लाल के जीवित कौन–कौन वारिसान है, इस बाबत कोई पूछताछ भी नहीं की गई, इस प्रकार नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाहियॉ प्रार्थीगण के पीछे पीछे होने से दोषपूर्ण है । प्रार्थीगण को देबीलाल पुत्र रामचन्द्र जी की विरासत से खाता राजस्व एजेन्सी द्वारा कब परिवर्तन किया गया इसकी कोई जानकारी नहीं थी और न हो सकी । इसलिए नामान्तरकरण संख्या 3574 एवं 3575 की समस्त कार्यवाहियॉ दोषपूर्ण अवैध होने से निरस्त योग्य है। विपक्षी महेशचन्द्र के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक परित्याग पत्र भी प्रार्थीगण के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन है।

4. नामान्तरकरण संख्या 3574 जो दिनांक 19.1.2009 को तहसीलदार द्वारा मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बिना मोहनी बाई से पूछताछ किये जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया है वह दोषपूर्ण है क्योंकि मृतक देबी लाल जी के वारिसान मोहनी बाई बेवा होने से एवं प्रार्थीगण के पति व पिता सत्यनारायण दत्तक पुत्र होने से वारिस है, इस वास्तविकता को पटवारी से मिलकर विपक्षी महेशचन्द्र ने इन तथ्यों को छिपायाइसलिए उक्त नामान्तरकरण दोषपूर्ण एवं विधिविरूद्ध है इसी तरह विपक्षी महेशचन्द्र के पक्ष में हक परित्याग के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3575 दिनांक 19.1.2009 को स्वीकृत किया गया वह भी अनुचित मनमाना, दोषपूर्ण एवं अवैध है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित प्रावधानअनुसार विपक्षी महेश चन्द्र से पूर्व अभिधारी के वादग्रस्त वर्णित आराजियात में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निहित खतोदारी हक अधिकार परित्याग पत्र से न तो निर्वापित हुए और न ही हो सकते हैं। इस तरह विक्रय या दान या वसीयत के आधार पर ही अभिधारी के खातेदारी अधिकार अन्तरणीय होते हैं। इसलिए हक परित्याग पत्र के आधार पर विपक्षी से पूर्व अभिधारी मोहनी बाई के खातेदारी हक को समाप्त करके वादग्रसत आराजियात में मोहनी बाई के 1/3 हिस्सा के खातेदारी हक को विपक्षी महेशचन्द्र के नाम पर अंतरिकत करके तहसीलदार जहाजपुर ने विधिविरूद्ध कृत्य किया है। इसलिए विपक्षी महेशचन्द्र के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3575 दिनांक 19.1.2009 सर्वथा अनुचित एवं गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है। क्योंकि विपक्षी को हक परित्याग पत्र के आधार पर कानूनन खातेदारी अधिकार हक कतई प्राप्त नहीं हो सकते है। इस प्रकार हक परित्याग पत्र हरसूरत में प्रभावहीन है। नामान्तरकरण संख्या 3575 दिनांक 19.1.2009 को हकपरित्याग पत्र के आधार पर गलत तरीके से राजस्व एजेन्सी के माध्यम से विपक्षी महेश चन्द्र ने स्वीकृत करवा लिया जिसका अमल दरामद भी राजस्व रेकार्ड में हो चुका है व आगे के रोटेशन की जमाबंदी में प्रार्थीगण का नाम इन्द्राज न होकर विपक्षी महेश चन्द्र का नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण जो वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, इस आशय की घोषणा व विभाजन होने में काफी समय लगने की संभावना है। इस वाद के दौरान विपक्षी को हक परित्याग से संबंधित आराजियात को अन्य किसी को अन्तरण या व्ययनित न कर देंवे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। क्योंकि विपक्षी ने वादग्रस्त आराजी को अन्तरित व व्ययनित कर देने की धमकी दे दी। इसलिए मूल वाद के विचारण तक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विपक्षी को पाबन्द किया जावे कि वह मौजा जहाजपुर तहसील जहाजपुर की वादग्रस्त आराजी नम्बर 274, 275, 276, 5151, 5154, 5230, 7275 व 5279 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा में प्रतिवादी महेशचन्द्र का नाम मोहनी बाई बेवा देबीलाल ब्राह्मण (तिवाडी) के स्थान पर हक परित्यागपत्र के आधार पर दर्ज हुआ है, उसे विपक्षी महेश चन्द्र को अन्य किसी को अंतरित व भारित नहीं करे इस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात में देबी लाल पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मण (तिवाडी) का 1/3 हिस्सा तथा अन्य सहकाश्तकार महेशचन्द्र, घनश्याम, पिता मोहन लाल , अनोप देवी बेवा मोहन लाल का 1/3 हिस्सा, सत्यनारायण, राधेश्याम पिता रामस्वरूप , कन्नु बाई बेवा रामस्वरूप का 1/3 हिस्सा है। जिसमें से देबी लाल पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मण (तिवाडी) की मृत्यु लाऔलाद हुई है। देबी लाल जी ने सत्यनारायण को गोद रखा था जो कि अपीलार्थी संख्या 1 के पति एवं अपीलार्थीगण संख्या 2 व 3 के पिता हैं। देबी लाल पिता रामचन्द्र जी की मृत्यु दिनांक 16.2.1990 को हुई थी। उसके उपरान्त देबी लाल जी की पत्नि मोहनी बाई की मृत्यु दिनांक 1.11.2010 को हुई थी। राजस्व रेकार्ड के अनुसार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगाड़ा

दिनिांक 31.1.2009 को राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार के रूप में देबी लाल जी का ही नाम चला आ रहा था। देबी लाल जी की मृत्यु हो चुकी थी परन्तु राजस्व रेकार्ड में उनकी पत्नि मोहनी बाई का नाम दर्ज नहीं हुआ था।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जब वादग्रस्त आराजियात जो कि देबी लाल जी की खातेदारी की थी जिसमें दिनांक 13.1.2009 तक मोहनी बाई का नाम ही दर्ज नहीं हुआ ऐसी स्थिति में वह वादग्रस्त आराजियात का हक परित्याग नहीं कर सकती थी। जबकि प्रत्यर्थी श्री महेश चन्द्र ने वादग्रस्त आराजियात का हक परित्याग अपने नाम पर करवाया है। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3574 एंवं 3575 से प्रत्यर्थी श्री महेश चन्द्र के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज भी कर दिया गया है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि देबी लाल जी ने वाद प्रस्तुत करने से 42 वर्ष पूर्व ही सत्यनारायण जी को गोद पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। उस समय गोद नामा रजिस्टर्ड नहीं कराया था। इसलिए दिनांक 12.12.2007 को मोहनी बाई ने रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित भी कराया था। पूर्व में जब देबी लाल जी ने सत्यनारायण जी को गोद लिया था तो उनकी पत्नि मोहनी बाई की सहमति से ही गोद लिया था।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि चूंकि सत्यनारायण जो कि स्व0 देबी लाल जी ब्राह्ण का गोदपुत्र था इसलिए वर्ष 1998 में राशन कार्ड में मोहनी बाई के साथ सत्यनारायण एवं अपीलार्थीगण का नाम दर्ज रेकार्ड भी है। इस बाबत घोषणा पत्र भी मोहनी देवी ने लिखा था।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी श्री महेश चन्द्र के पक्ष में लिखा गया एक गोद नामा था जिसे जिला कलक्टर न्यायालय ने खारिज करवाया गया था।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात 274, 275, 276, 5151, 5154, 5230, 7275 व 5279 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा शामलाती आराजियात है। चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा वादग्रस्त आराजियात में से देबी लाल जी का हिस्सा गलत आधार पर दर्ज कराया है। इसलिए उस पर स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित है। चूंकि मूल वाद के निस्तारण तक न्यायहित में वादग्रस्त भूमि के स्वरूप व स्थिति को यथावत बनाये रखना आवश्यक है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि हक परित्याग के आधार पर अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थीगण के पक्ष में है। यदि स्थगन आदेश जारी नहीं किया जाता है और प्रत्यर्थी द्वारा वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है। तो निश्चित ही अपीलाथीगण को अपूर्णीय क्षति होगी ।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि सिविल न्यायालय में जो राजीनामा प्रस्तुत कर वाद पत्र में कार्यवाही नहीं चाही गई है। उस राजीनामे में किस आराजियात के संबंध में राजीनामा हुआ है उसका अंकन नहीं है। वह मूल वाद में जांच का विषय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी राजीनामे के आधार पर स्थगन का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जो विधिसम्मत नही है। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर एल डब्ल्यू 2012 (1) राजस्थान पेज 359, आर बी जे 2013 (20) पेज 216, आर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आर टी 2015 (2) पेज 985आर बी जे 2016 (23) पेज 360, डी एन जे 2017(एस सी) पेज 76, डी एन जे 2017 (एस सी) नेज 79 , बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फोर राजस्थान अजमेर की डबल बैच की अपील 12724/04 बंशीधर बनाम हनुमान में भी इसी सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजियात को मूल वाद के लंबित रहने तक अन्तरयण या विक्रय या भारित नही करे।

15. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति श्री सत्यनारायण को स्व0 देबी लाल जी ब्राह्मण द्वारा 42 वर्ष पूर्व गोद रखे जाने का कथन अपीलार्थीगण द्वारा किया गया है। जब सत्यनारायण देबी लाल जी के 42 वर्ष पूर्व ही गोद जा चुका था तो सत्यनारायण को वास्तविक पिता श्री रामस्वरूप की आराजियात में विरासत से सत्यनारायण का नाम क्यों दर्ज किया गया है। चूंकि जब कोई व्यक्ति किसी के गोद पुत्र के रूप में रहता है तो उसे अपने जन्मदाता पिता की जायदाद में से किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है एवं न ही उसका कोई हक अधिकार उसके जायन्दा पिता में निहित ही रहता है। जबकि जमाबंदी संवत 2068 से 2071 में सत्यनारायण का नाम उसके पिता की जायदाद में विरासत से दर्ज किया गया है।

16. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि स्वयं अपीलार्थीया कांता देवी ने मोहनी देवी के विरूद्ध सिविल न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें उसने राजीनामा भी किया है। कि वह देबीलाल जी की जायदाद के लिए क्लेम नहीं करेगें। इस समझौते के लिए अपीलार्थीया ने प्रत्यर्थी से पांच लाख रूपये भी प्राप्त किये

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। उक्त समझौते से अपीलार्थीया पाबन्द है। उस समझौते पर स्वयं सत्यनारायण के भी हस्ताक्षर हैं।

17. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि सत्यनारायण के पक्ष में जो गोदनामा निष्पादित हुआ है वह वर्ष 2007 में निष्पादित किया गया है। जबकि गोद 42 वर्ष लिया जाना अपीलार्थीया ने बताया है। जबकि गोद लेने व देने की रस्म सामाजिक रिति रिवाज से नही की गई है।

18. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी रजिस्टर्ड हक परित्याग के आधार पर वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार होकर कब्जा भी प्रत्यर्थी का ही चला आ रहा है एवं खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

19. स्व0 मोहनी बाई को मुगालते मे रख कर सत्यनारायण ने गोद नामा निष्पादित कराया था। गोद नामा के क्रम में सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय गोदनामे के क्रम में सुनवाई नहीं कर सकता है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर डी 2014 पेज 463, आर आर डी 2016 पेज 232, आर आर डी 2015 पेज 210 की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। न्यायिक उद्धरण डब्ल्यू एल डब्ल्यू 2014 (1) पेज 529 की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि गोदनामे के बाबत सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अधिक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि अचल सम्पति का हस्तान्तरण विक्रय पत्र से या रिलीज से होता है। अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर एल डब्ल्यू 2016 (4) पेज 2716 प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बताते हुए अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

20. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजियात मौजा जहाजपुर तहसील जहाजपुर के राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2064 से 2067 के खाता संख्या 462 में आराजी नम्बर 274 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 276 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 5151 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा, आअराजी नम्बर 5154 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 5230 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 5275 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 5279 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है जिसमें देबी लाल पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मण (तिवाडी) का 1/3 हिस्सा तथा अन्य सहकाश्तकार महेशचन्द्र, घनश्याम, पिता मोहन लाल , अनोप देवी बेवा मोहन लाल का 1/3 हिस्सा, सत्यनारायण, राधेश्याम पिता रामस्वरूप , कन्नु बाई बेवा रामस्वरूप का 1/3 हिस्सा अनुसार दर्ज रेकार्ड है।

21. अपीलार्थीगण ने अपने पति/पिता के देबी लाल जी के गोद जाने का कथन करते हुए अपने समर्थन में राशनकार्ड की फोटो प्रति संलग्न की है जिसमें मोहन देवी पत्नि देवी लाल जी के साथ–साथ सत्यनारायण , कांता देवी, आशा देवी, एवं आशा का नाम अंकित है। उक्त राशन कार्ड 1988–93 में बनवाया गया है। मतदाता सूचित की भी फोटो प्रति संलग्न की गई है। जिसमें सत्यनारायण के पिता का नाम देवी लाल अंकित किया गया है। जिसका भी अवलोकन किया गया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

22. अपीलार्थीगण का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात में से देबी लाल जी का 1/3 हक हिस्से के अधिकारी अपीलार्थीगण हैं क्योंकि अपीलार्थीया संख्या 1 के पति एवं अपीलार्थी संख्या 2 व 3 के पिता स्व0 सत्यनारायण जी को स्व0 देबी लाल जी ब्राह्मण ने वर्ष 1990 में गोदपुत्र रखा था। ऐसी स्थिति में स्व0 देबी लाल जी की जायदाद में सत्यनारायण जी की मृत्यु के उपरान्त सत्यनारायण जी के स्थान पर हमारा अधिकार निहित हो जाता है।

23. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात जो कि पैतृक आराजियात होकर देबीलाल, मोहन लाल ,रामस्वरूप पिता रामचन्द्र के खातेदारी में भू प्रबन्ध के दौरान दर्ज थी। जो विरासत से देबी लाल, मोहन लाल , रामस्वरूप के 1/3, 1/3 हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2064 से 2067 में रामस्वरूप की मत्यु के उपरान्त 1/3 हक हिस्से की भूमि विरासत से सत्यनारायण, राधेश्याम पिता रामस्वरूप के नाम दर्ज रेकार्ड है। अपीलार्थीगण के कथनानुसार अपीलार्थीगण के पति/पिता स्व0 सत्यनारायण जब देबी लाल जी के वर्ष 1990 में ही गोद चले गये थे तो ऐसी स्थिति में सत्यनारायण का हक अपने जायन्दा पिता श्री रामस्वरूप ब्राह्मण के हक हिस्से में समाप्त हो जाता है। इस संबंध में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कोई कथन नहीं रहा है।

24. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि सिविल न्यायालय में जो राजीनामा प्रस्तुत कर वाद पत्र में कार्यवाही नहीं चाही गई है। उस राजीनामे में किस आराजियात के संबंध में राजीनामा हुआ है उसका अंकन नहीं है। वह मूल वाद में जांच का विषय है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सिविल न्यायालय की कार्यवाही की प्रतियॉ मौजूद है जिनका प्रदर्श मूल वाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में होना है। परन्तु प्रथमदृष्टया स्व0 सत्यनारायण एवं अपीलाण्ट कान्ता के द्वारा राजीनामा करना इन दस्तावेजात से प्रकट होता है।

25. श्री सत्यनारायण आत्मज देवी लाल जी का मृत्यु प्रमाण पत्र अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है जिसके अनुसार श्री सत्यनारायण आत्मज देवी लाल की मृत्यु दिनांक 2.8.2013 को होना प्रकट होता है। सिविल न्यायालय में जो राजीनामा प्रस्तुत कर वाद पत्र में कार्यवाही नहीं चाही गई है। वह राजीनामा 24.10.2005 को किया गया है। प्रत्यर्थी महेश चन्द्र के पक्ष में ईकरारनामा दिनांक 24.10.2005 को अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा निष्पादित कर देवी लाल जी के गोद पुत्र की वसीयत अनुसार जो अपीलार्थीया एवं उसके पति सत्यनारायण को मिला है उस हिस्से के एवज में 5,00,000/—रूपये लेकर अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा द्वितीय पक्ष यानि महेश चन्द्र को विक्रय कर दिया है। अब मेरा हिस्सा मा.न. मकान, व जमीन जहाजपुर की माधिक्य नगर वाला मकान में मेरा कोई हक नहीं रहा है। इस ईकरार नामे पर अपीलार्थी संख्या एक के हस्ताक्षर हैं एवं मृतक सत्यनारायण के भी हस्ताक्षर हैं। उक्त राजीनामा 24.10.2005 को किया गया था। उसके करीब 8 वर्ष बाद सत्यनाराण की मृत्यु हुई है। वादग्रस्त आराजियात जो कि देबी लाल जी के हक हिस्से की 1/3 थी जिसका नामान्तरकरण वर्ष 13.1.2009 को खोला गया था। उसके करीब 4 वर्ष 7 माह बाद तक सत्यनारायण अपीलार्थीया संख्या 1 के पति जीवित रहे थे। परन्तु श्री सत्यनारायण द्वारा जीवित रहते कोई विधिक कार्यवाही की गई हो यह पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है।

26. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व निम्न तीन तथ्यों का परीक्षण करना आवश्यक था —

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

(1) Prima facie case i.e. existence of a right & infringement of the right.

(2) The possibility or irreparable injury and protection from that injury is necessary from the court.

(3) The balance of convenience is in his favour i.e. substantial mischief will be done if it is refused.

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि देवीलाल की मृत्यु के उपरान्त उनकी विधवा मोहनी देवी द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा व रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र जारी किये हैं। अतः देवीलाल की सम्पति / जायदाद / खातेदारी भूमि में उनकी विधवा की मृत्यु दिनांक 1.11.2010 को हो जाने से विधिक वारिसान के खातेदारी अधिकारों का निस्तारण मूल वाद में होना है। अपीलाण्ट द्वारा गोदनामे व स्व0 मोहनी बाई की सेवा सुश्रुषा उनके द्वारा किये जाने के आधार पर हक अधिकार चाहे हैं, परन्तु स्व0 देवीलाल के भाई स्व0 रामस्वरूप जो सत्यनारायण के पिता थे, की विरासत में भी सत्यनारायण द्वारा हक–हिस्सा लिया जाना प्रथमदृष्टया प्रकट होता है। स्व0 सत्यनारायण द्वारा सिविल न्यायालय में राजीनामा करना भी प्रथमदृष्टया उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट होता है। अपीलार्थीगण के वाद का मुख्य आधार गोदनामा है, जिसके विधि अनुसार त्रुटिरहित होने का निर्धारण मूल वाद में होना है, तदुपरान्त ही अपीलाण्ट के हक अधिकार निर्धारित हो सकेंगे। प्रकरण में प्रत्यर्थी रजिस्टर्ड हक परित्याग से राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रत्यर्थीया द्वारा सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, भीलवाडा में दर्ज प्रकरण के कम में भी इकरारनामा दिनांक 11.5.95 लिखा जाना प्रकट हुआ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है जिस अनुसार अपीलाण्ट नम्बर 1 द्वारा स्व0 देवी लाल की सम्पति में कोई हिस्सा नहीं लेने का कथन किया है। अपीलार्थीया कान्ता देवी के हवाले से लिखा गया है कि प्रत्यर्थी से 5,00,000/–रूपये नकद प्राप्त कर लिऐ हैं, तथा देवी लाल के हिस्से की चल/अचल सम्पति में मेरा कोई हक नहीं रहा है, जहाजपुर की जमीन में भी किसी प्रकार से मांग नहीं करूंगी, इस बाबत 100/–रूपये के स्टाम्प पर इकरारनामा निष्पादित किया हे । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार ही विवेचन कर प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण का प्रकरण नहीं बनना पाया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। मेरा विनम्र अभिमत है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य,सबूतों का सरसरी तौर पर अवलोकन कर प्रथमदृष्टया प्रकरण बनना नहीं पाया है। यदि रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से बिना रजिस्टर्ड गोदनामा व हकत्याग पत्र के विवेचन व राजीनामे की मंशा वाद से भिन्न होने की पुष्टि करने के पूर्व पाबन्द किया जाता है, तो अपूर्णीय क्षति प्रत्यर्थी को होना प्रकट है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति अपीलार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य पाई है। जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

27. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.7.2017 को यथावत रखा जाता है।

28. निर्णय आज दिनांक 13.6..2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

13/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
सहायक अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा